

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
शुद्धि पत्र

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी. 2230011120101) योजनान्तर्गत निर्गत विभागीय आवंतादेश संख्या-186 दिनांक-27.03.17 के अन्तर्गत सभी 38 जिलों में कॉरपस फंड का गठन करने हेतु तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त ₹ 3,80,00,000/- (₹ तीन करोड़ अस्सी लाख) मात्र राशि विषयशीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) से विकलनीय होगा ।

उक्त आवंतादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
उक्त आवंतादेश की शेष बातें यथावत् रहेगीं ।

ह०/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र.सं.

पटना, दिनांक

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ *संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

1227 पटना, दिनांक 29.3.17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/03/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।